बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक : **01** जनवरी, **2019**

संख्याः1/सी0–1024/2014–सा0प्र0– 29 /श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः 2003), कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) लेवल–14–रु.1,44,200–2,18,200/– में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्री लोकेश कुमार सिंह अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्याः1/सी0–1024/2014–सा0प्र0– 30 /श्री अनुपम कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः 2003), निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, संवाद समिति, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) लेवल–14–रु.1,44,200–2,18,200/– में प्रोन्नति देते हुए सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अनुपम कुमार अगले आदेश तक सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, संवाद समिति, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्याः1/सी0–1024/2014–सा0प्र0– 31 /श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0 (बी एचः 2003), विशेष सचिव, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) लेवल–14–रु.1,44,200–2,18,200/– में प्रोन्नति देते हुए सचिव, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री असंगबा चुबा आओ अगले आदेश तक निदेशक, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

01/01/19

(रामबिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/सी0–1024/2014–सा0प्र0–31/पटना–15,दिनांकः **01 जनवरी, 2019**

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन,

कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैंनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम–12 (1) के तहत श्री लोकेश कुमार सिंह के पदस्थापन से संबंधित पद–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को, उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से भा0प्र0से0 के सचिव स्तर के समतुल्य घोषित किया जाता है।**

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

01/01/19

सरकार के अवर सचिव।